

चिकित्सा-विज्ञान और प्रौद्योगिक जगत में
सर्वाधिक प्रकाशित होने वाला निष्पक्ष समाचार पत्र

नोट-इस अंक में 1 पेज स्पेशल पेजेस
के नाम से अलग से है। सम्पादक

पाक्षिक

पत्र व्यवहार हेतु पता :-
सम्पादक

इलेक्ट्रो होम्यो मेडिकल गजट
127 / 204 'एस' जूही, कानपुर-208014

सम्पर्क सूत्र :- 9450153215 , 9415074806 , 9415486103

इलेक्ट्रो होम्यो मेडिकल गजट

वर्ष - 44 • अंक - 9 • कानपुर 1 से 15 मई 2022 • प्रधान सम्पादक - डा० एम० एच० इदरीसी • वार्षिक मूल्य ₹ 100

बोर्ड आफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक

मेडिसिन, उ०प्र० का 48वां स्थापना दिवस सम्पन्न

सम्बद्ध संस्थानों एवं अध्ययन केन्द्रों ने बड़ी संख्या में किया चिकित्सा शिविरों का आयोजन

बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ०प्र० का 48 वां स्थापना दिवस का मुख्य कार्यक्रम बोर्ड के प्र०कार्यालय 127 / 204 एस जूही, कानपुर में धूमधाम से मनाया गया सर्वप्रथम बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ०प्र० के संस्थापक सदस्य एवं चेयरमैन डा० एम० एच० इदरीसी जी को बोर्ड के रजिस्ट्रार डा० अतीक अहमद ने माल्यार्पण कर उनका स्वागत किया, समारोह में उपस्थित श्रीमती शाहीना इदरीसी प्रधानाचार्या मदरसा गुलजार-ए-हिन्द तालीमी मरकज उज्जवा का सम्मान श्रीमती रिफत इदरीसी द्वारा किया गया, तत्पश्चात डा० अतीक अहमद ने बताया कि यह डा० इदरीसी जी की दूरदर्शिता ही थी जो आज हम लोग इस मुकाम पर पहुँचे हैं आज यह बॉर्ड उ०प्र० में प्रथम स्थान रखता है जो इलेक्ट्रो होम्योपैथिक के विकास के लिए सदैव तत्पर रहता है।

डा० अतीक अहमद ने बताया कि बोर्ड की स्थापना 24 अप्रैल, 1975 में हुई थी तब से लेकर आज तक बोर्ड अपने कार्य में निरन्तर लगा हुआ है इसका श्रेय डा० इदरीसी जो को ही जाता है क्योंकि तमाम झंझट बीच में आये लेकिन डा० इदरीसी ने अपनी सूझ बुद्धि से सारे झंझटों को निपटाले रहे हम उनको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं, हम सम्मन्नते हैं कि इलेक्ट्रो होम्योपैथिक अन्य देशों में भी स्थापित हो चुकी है और भारत में इलेक्ट्रो होम्योपैथिक के और भी अच्छे दिन होंगे और केन्द्र एवं राज्य सरकार से सुविधायें भी प्राप्त होंगी आप सभी को इस आयोजन की शुभकामनायें।

समारोह में डा० मिथलेश कुमार मिश्रा ने अपने विचार देते हुए बताया कि किसी भी संस्था का 48 वां स्थापना दिवस मनाना इस बात का प्रतीक है कि यह संस्था अपने आप में एक बड़ा स्थान रखती है, 48 वर्ष का कार्यकाल बहुत होता है किसी भी संस्था का इतने वर्षों तक निरन्तर कार्य करते रहना एक बड़ा काम है, यह कार्य डा० इदरीसी जी की बुद्धि, कार्य करने की शैली एवं जुझारू होने के कारण सम्भव हो सका है, डा० इदरीसी जी की दूरदर्शिता का तो कोई जवाब ही नहीं है, जब सारे भारत में इलेक्ट्रो

होम्योपैथिक की संस्थाओं ने इलेक्ट्रो होम्योपैथिक को बन्द समझ लिया था तब डा० इदरीसी जी ने ही कहा था कि भारत सरकार ने इलेक्ट्रो होम्योपैथिक पर कोई प्रतिबन्ध ही नहीं लगाया है और अन्त में यह बात स्पष्ट भी हो गयी।

डा० मिश्रा ने बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ०प्र० को इस अवसर पर शुभकामनायें दीं तथा सभी का आभार व्यक्त किया।

डा० एम० एच० इदरीसी ने अपने विचार रखते हुए बताया कि वह किस तरह से कार्य करते हुए लगातार इलेक्ट्रो होम्योपैथिक के चिकित्सकों की समस्याओं का निराकरण करने का प्रयास करते रहे हैं उन्होंने बताया कि सन् 1975 में संस्था की स्थापना हुई थी अभी दो साल ही बीते थे कि भारत में इमरजेंन्सी लग गयी जिसमें संस्था के संवाहन में कठिनाई तो आयी परन्तु वह अपना कार्य निरन्तर करते

रहे जिसका परिणाम है कि आज बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ०प्र० शासकीय आदेशों से परिपूर्ण है, प्रदेश में इलेक्ट्रो होम्योपैथिक से कार्य करने में कोई बाधा नहीं है आज इलेक्ट्रो होम्योपैथिक निरन्तर प्रगति की ओर गतिशील है।

उन्होंने कहा कि प्रदेश में निजी होम्योपैथिक कालेजों को रोकने के लिए सन् 1981 में होम्योपैथिक कॉलेज अर्जन, (प्रकीर्ण एवं उपबन्ध) अधिनियम लागू हुआ जिसके अन्तर्गत इलेक्ट्रो होम्योपैथिक कालेजों को रोकने के लिए इनके विरुद्ध व्यापक स्तर पर कार्यवाहियाँ की गयीं, उच्च स्तरीय कमेटी बनायी गयी जिसमें प्रमुख रूप से केन्द्रीय होम्योपैथिक परिषद, होम्योपैथिक निदेशालय, बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ०प्र० तथा इलेक्ट्रो होम्योपैथिक

मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इण्डिया के विचार जानने के बाद दिनांक 06 जून, 1984 को विधि विभाग उत्तर प्रदेश सरकार की अनुज्ञांसा आयी जिसके अनुसार इलेक्ट्रो होम्योपैथिक संस्थाओं को रोकने का कोई प्राविधान नहीं पाया गया।

तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री पं० लोकपति त्रिपाठी की सहमति प्राप्त कर राज्य के अनेक विभागों द्वारा इलेक्ट्रो होम्योपैथिक संस्थाओं के विरुद्ध कुप्रचार जारी रखा गया जिसका परिणाम यह हुआ कि कमी सुप्रीम कोर्ट तो कमी हाईकोर्ट जाना पड़ा अन्ततः इलेक्ट्रो होम्योपैथिक संस्थाओं को सफलता मिली और उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिकल कालेज अर्जन (प्रकीर्ण एवं उपबन्ध) अधिनियम 1981 इलेक्ट्रो होम्योपैथिक संस्थाओं पर निष्प्रभावी साबित हुआ।

इलेक्ट्रो होम्योपैथिक

संस्थाओं के नियमन व इलेक्ट्रो होम्योपैथिक पद्धति के अनुसंधान हेतु वर्ष 2020 में **इलेक्ट्रो होम्योपैथिक पद्धति विकास एवं अनुसंधान संस्थान** की स्थापना की जा चुकी है जिसके अधीन दो स्वतंत्र परिषदों का गठन शीघ्र ही किया जायेगा, जिसमें एक परिषद **इलेक्ट्रो होम्योपैथिक पद्धति विकास परिषद** के नाम से होगी जो माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय नई दिल्ली द्वारा रिट याचिका संख्या 4015/96 में दिनांक 18 नवम्बर, 1998 को दिये गये निर्देशों के अनुसार मेडिकल काउन्सिल एक्ट की धारा 17.1.8.19 एवं 19ए के अनुकूल परिनिधम तैयार कर जारी करेगी तथा भारत सरकार के आदेश दिनांक 25 नवम्बर, 2003 के अनुरूप कार्य करने हेतु प्रेरित करेगी तथा दूसरी परिषद **इलेक्ट्रो होम्योपैथिक पद्धति अनुसंधान परिषद** के नाम से गठित की जायेगी जो इलेक्ट्रो होम्योपैथिक की मान्यता हेतु अनिवार्य एवं वांछनीय बिन्दुओं की पूर्ति पर कार्य करेगी।

बोर्ड के 48 वें स्थापना दिवस के अवसर पर बुन्देलखण्ड इलेक्ट्रो होम्योपैथिक स्टडी सेंटर पटकाना हमीरपुर में धूम धाम से मनाया गया कार्यक्रम का आरम्भ श्री विकास तिवारी ने डा० काउण्ट सीजर मैटी के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्ज्वलित कर किया श्री विकास तिवारी ने कहा कि इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सा विधा सुलभ और सस्ती व हानि रहित है, डा० गणेश सिंह जिला प्रवारी अधिकारी ने कहा कि इलेक्ट्रो होम्योपैथिक के चिकित्सक अपनी पद्धति से मरीजों का इलाज करें और उसका रिकार्ड भी सुरक्षित रखें जिससे जनमानस में

शोष पेज 2 पर



बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ०प्र० के चेयरमैन डाक्टर एम० एच० इदरीसी 47 वर्षों का इलेक्ट्रो होम्योपैथिक से सम्बन्धित इतिहास बताते हुये - छाया गजट

अनिवार्य एवं वांछनीय मापदण्ड पूर्ण करने का उपयुक्त समय



भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्रालय, स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग द्वारा वांछित मापदण्ड पूर्ण करने का यह उपयुक्त समय है, क्योंकि अन्तरविभागीय समिति द्वारा जारी नोटिस का 5 वर्ष से अधिक का समय बीत चुका है अन्तरविभागीय समिति ने अपनी अनेक बैठकों में मापदण्ड पूर्ण करने के लिए अनेकों अवसर प्रदान किये, अन्तरविभागीय समिति के समक्ष उपस्थित प्रपोजलकर्ताओं ने भी इसको समिति का सकारात्मक पहलू माना, अनेक प्रपोजलकर्ताओं ने इस पर कार्य भी आरम्भ कर दिया, दिल्ली राज्य से जो भी सूचनायें एवं सन्देश प्राप्त हो रहे हैं वह अभी भी संगठन की दिशा में ही हैं जबकि पंजाब राज्य प्रयोगात्मक दिशा की ओर अग्रसर है वहीं हिमाचल राज्य इन दोनों राज्यों से आगे निकल चुका है, हिमाचल राज्य से माननीय केन्द्रीय वित्त राज्यमंत्री श्री अनुराग ठाकुर ने हिमाचल राज्य के स्वास्थ्यमंत्री को स्पष्ट तौर पर इलेक्ट्रो होम्योपैथी को मान्यता देने के लिए लिख दिया है, जब इतने सारे राज्यों से सकारात्मक रुख मिल रहा है तो प्रपोजलकर्ताओं के समूह एवं दूसरे समूह तथा इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सकों को सक्रियता से अपने कार्य में लग जाना चाहिये इससे अच्छा और उपयुक्त समय क्या हो सकता है ? जब इलेक्ट्रो होम्योपैथी की स्थापना के लिए आप को सभी ओर से अर्थात् केन्द्रीय मंत्री का भी सहयोग मिल रहा है।

विभिन्न माध्यमों से ऐसी सूचनायें प्राप्त हो रही हैं कि कुछ संगठनों ने व्यक्तिगत तौर पर अनुसंधान संस्थाओं से सम्पर्क कर इस दिशा में कार्य भी आरम्भ कर दिया है और वे ऐसा आभास दे रहे हैं कि वह शीघ्र ही पूर्णतः को प्राप्त कर लेंगे, एक वरिष्ठ चिकित्सक तो एक नामचीन शोध संस्थान के आजीवन सदस्य तथा संचालक भी नामित हो गये हैं, यह सभी बातें अनुकूलता को दर्शाती हैं, समय की गम्भीरता को समझते हुए निश्चित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कार्य के लिए अग्रसर होने का समय है और इस लक्ष्य को भेदने के लिए पूरी तत्परता से सभी को लग जाना चाहिये क्योंकि समय बार बार नहीं मिलता है समय का सदुपयोग करना ही समझदारी है।

इलेक्ट्रो होम्योपैथी भारत में दक्षिण भारत एवं पश्चिम बंगाल के रास्ते से उत्तर प्रदेश में आकर पली बड़ी और इसने यहीं अपना घर बना लिया अर्थात् सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में ही इलेक्ट्रो होम्योपैथी का बोल-बाला है जो लगभग 100 वर्षों से भी अधिक समय से अपने विभिन्न रूपों में यहां विद्यमान है, यहीं से ही इलेक्ट्रो होम्योपैथी का आन्दोलन निरन्तर चलता रहा है तथा इसका दूसरा बड़ा ठिकाना बिहार रहा है, इलेक्ट्रो होम्योपैथी का राजनैतिक एवं विधिक सामना भी इन्हीं दो राज्यों में हुआ, विगत 40 वर्षों से इन्हीं राज्यों ने ही सर्वाधिक संघर्ष किया इसी कारण इन्हें ही सफलता भी मिली है, भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्रालय, स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग ने जो भी आदेश जारी किये वे अधिकांश इन्हीं राज्यों के हिस्से में हैं, और इन्हीं राज्यों के आदेश से पूरे देश के इलेक्ट्रो होम्योपैथी को बल प्राप्त होता रहा है।

उत्तर प्रदेश राज्य से ही डा० बलदेव प्रसाद सक्सेना, डा० सुखदेव प्रसाद श्रीवास्तव, डा० नन्दलाल सिन्हा तथा डा० मोरखन सिंह " प्रलयंकर " आदि रहे हैं इनके प्रयास एवं बलिदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता है, भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्रालय, स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग द्वारा वांछित अनिवार्य एवं वांछनीय मापदण्ड इनके द्वारा बहुत पहले ही पूर्ण किये जा चुके हैं इसे संयोग ही कहेंगे कि उसके कोई साक्ष्य एवं अभिलेख प्राप्त नहीं हैं यदि प्रयास किया जाये तो यह साक्ष्य एवं अभिलेख स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त हो सकते हैं क्योंकि स्वास्थ्य विभाग द्वारा डा० नन्दलाल सिन्हा जी को कुछ मरीज इलाज के लिए दिये गये थे उनको डा० सिन्हा द्वारा ठीक किया गया था उसका विवरण स्वास्थ्य विभाग के पास अवश्य होगा।

इलेक्ट्रो होम्योपैथी के मामले में कानून की दृष्टि में उत्तर प्रदेश राज्य सबसे धनी रहा है क्योंकि उत्तर प्रदेश शासन चिकित्सा अनुभाग-6 द्वारा इलेक्ट्रो होम्योपैथी के लिए शासनादेश जारी किया जा चुका है, 3050 होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज अर्जन (प्रकीर्ण एवं उपबन्ध) अधिनियम 1981 भी इलेक्ट्रो होम्योपैथी को नहीं रोक सका है, इलेक्ट्रो होम्योपैथी के अन्तर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय से लेकर प्रान्तीय एवं स्थानीय स्तर के बड़े बड़े आयोजन भी इसी उत्तर प्रदेश में होते रहे हैं इसी उत्तर प्रदेश में विधान सभा के अन्दर व बाहर घेराव भी हुआ है इलेक्ट्रो होम्योपैथी में इतना सबकुछ हो चुका है और जो हो रहा है वह यह दर्शाता है कि मापदण्ड पूरा करने के लिए सबसे उपयुक्त समय है।

बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ०प्र० के 48वें

प्रथम पेज से आगे

जिससे जनमानस में पैथी के प्रति लगाव उत्पन्न हो, इस अवसर पर कानपुर से फयारी डा० मानसी ने अपने विचार रखते हुए बताया कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी क्या में लोगों का विश्वास तेजी से बढ़ रहा है।

अमीली से आये हुए डा० देवानन्द ने अपना अनुभव बताते हुए कहा कि वह एक मरीज जिसका नाम अंकिता है जो कैंसर से पीड़ित है, जिसका इलाज बाराबंकी में चल रहा था लेकिन उसे कोई आराम नहीं मिल रहा था तो वह हमारे सम्पर्क में आयी तो मैंने इलेक्ट्रो होम्योपैथी से उसका इलाज प्रारम्भ किया जिससे अब उसको बहुत आराम है। कार्यक्रम में डा० अरुण तिवारी, डा० संतोष, डा० पुत्रा लाल साहू, डा० कंचन गुप्ता एवं प्रियंका, डा० रजनीश, प्रवीण, नामदेव, अंश निगम एवं डा० मेहर मधुर निगम आदि उपस्थित थे।

सम्बन्धित अन्य शेष समाचार पेज 3 एवं 4 पर भी देखें



बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन उ०प्र० के चेयरमैन डा० एम० एच० इदरीसी को बोर्ड के रजिस्ट्रार डा० अतीक अहमद माल्यार्पण करते हुये।
छाया- गजट



बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन उ०प्र० की ओ० ए० डा० व प्रधानाचार्या मदरसा गुलजार ए-हिन्द तालीमी मरकज उन्नाव को श्रीमती रिफात इदरीसी माल्यार्पण करते हुये।
छाया- गजट



बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन उ०प्र० के 48वें स्थापना दिवस के अवसर पर बायें से दायें क्रमशः बर्ड की ओ० ए० डा० व प्रधानाचार्या मदरसा गुलजार ए-हिन्द तालीमी मरकज उन्नाव एवं बोर्ड के चेयरमैन डा० एम० एच० इदरीसी
छाया- गजट

48वें स्थापना दिवस पर सम्पन्न हुये अन्य जनपदों के कार्यक्रम व समाचार



बोर्ड के 48वें स्थापना दिवस के अवसर पर डा० एम० के ० निशा अपने विचार साझा करते हुये



अखिर कीन्हे से छुप नहीं पाये इदरीली दम्पति बोर्ड का 48वां स्थापना दिवस कुछ इस प्रकार भी मनाया गया



बोर्ड के 48वें स्थापना दिवस के अवसर पर डा० राम अवतार कुर्याह अपने विचार साझा करते हुये



M.S.D.E.H. Medical Institute लखीमपुर के चिकित्सक छात्रों ने कुछ इस प्रकार 48वां स्थापना दिवस मनाया



बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ०प्र० के 48वें स्थापना दिवस के अवसर पर बुन्देल खण्ड इलेक्ट्रो होम्योपैथिक स्टडी सेन्टर हमीरपुर में डा० मानसी अपने विचार साझा करते हुये



Awadh Electro Homoeopathic Medical Institute लखनऊ में चिकित्सकगण भौटिना को शिविर की जानकारी देते हुये।



भगवान महावीर इलेक्ट्रो होम्योपैथिक इन्स्टीट्यूट, जौनपुर में बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ०प्र० के 48वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में उपस्थित चिकित्सकगण



भगवान महावीर इलेक्ट्रो होम्योपैथिक इन्स्टीट्यूट, जौनपुर में बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ०प्र० के 48वें स्थापना दिवस के अवसर पर निःशुल्क चिकित्सा शिविर में उमड़ी भीड़ अपनी बारी की प्रतीक्षा में एवं शिविर में उपस्थित चिकित्सक

48वें स्थापना दिवस पर सम्पन्न कार्यक्रम व समाचार



बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ०प्र० के 48वें स्थापना दिवस के अवसर पर फ़िरोज़ाबाद इलेक्ट्रो होम्योपैथिक स्टडी सेंटर के प्रमुख डा० शिव कुमार पाल चिकित्सकों से घर्षा करते हुये।



बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ०प्र० के 48वें स्थापना दिवस के अवसर पर उपस्थित सहभागीगण - छाया गज़ट

फ़िरोज़ाबाद- बोर्ड आफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन उ०प्र० का 48 वां स्थापना दिवस बड़े धूमधाम से फ़िरोज़ाबाद इलेक्ट्रो होम्योपैथिक स्टडी सेंटर में श्री मुकेश कुमार जी की अध्यक्षता में मनाया गया। स्टडी सेंटर के प्राचार्य डा० शिव कुमार पाल ने बताया कि बोर्ड आफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ०प्र० की स्थापना आज से 47 वर्ष पूर्व 24 अप्रैल, 1975 में डा० एम० एच० इदरीसी द्वारा की गयी थी जब से यह बोर्ड निरन्तर इलेक्ट्रो होम्योपैथी के विकास एवं इलेक्ट्रो होम्योपैथी को देश में स्थापित करने के लिए प्रयत्नशील है।

बोर्ड आफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन उ०प्र० ने इन 47 वर्षों में हजारों इलेक्ट्रो होम्योपैथ, वैज्ञानिक, साहित्यकार एवं चिकित्सकों को दिया है जो देश की सेवा कर रहे हैं।

इस कार्यक्रम में मंगल सिंह, हरीओम, हेमन्त, प्रताप सिंह, राजपाल सिंह आदि प्रमुख रूप से सम्मिलित हुए।

लखीमपुर - माँ सरजू देवी इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिकल इन्सटीट्यूट लखीमपुर खीरी में बड़े धूम धाम से बोर्ड का स्थापना दिवस मनाया गया इस अवसर पर इलेक्ट्रो होम्योपैथी के जन्मदाता डा० काउण्ट सीजर मैटी के चित्र पर माल्यार्पण किया गया तथा छात्र चिकित्सकों ने पुष्प अर्पित किये स्थापना दिवस

का कार्यक्रम का शुभारम्भ छात्र चिकित्सक अशिका गुप्ता, रुबी नाज, राधिका मिश्रा, श्याम जी गुप्ता आदि ने दीप प्रज्वलित कर किया। इन्सटीट्यूट के प्राचार्य डा० राकेश शर्मा ने बताया कि बोर्ड आफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन उ०प्र० लखनऊ ही एक ऐसी संस्था है जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रशिक्षण एवं रजिस्ट्रेशन हेतु मान्य है। यह बोर्ड के चेयरमैन डा० एम० एच० इदरीसी जी के अथक प्रयास मेहनत, ईमानदारी तथा पारदर्शिता के कारण सम्भव हुआ आज हजारों छात्र प्रशिक्षण प्राप्त अपना स्वरोजगार कर जनता को लाभ पहुंचा रहे हैं।

इस कार्यक्रम में प्रतिष्ठा नाजपेयी, प्रज्ञा सिंह, पलक गुप्ता, शौर्या सिंह, सौम्या शर्मा, राधिका मिश्रा आदि ने अपने विचार व्यक्त किये। कार्यक्रम का संचालन उत्कर्ष शर्मा ने किया।

लखनऊ, जौनपुर वलीदपुर मऊ आदि जनपदों में भी स्थापना दिवस बड़े धूम-धाम के साथ मनाया गया।

बी०ई०एच०एम० के लिए डा० अतीक अहमद द्वारा गज़ट प्रेस 126 टी/22 'ए' रामलाल का तालाब, जूही, कानपुर-208014 से मुद्रित एवं मिथलेश कुमार मिश्रा द्वारा कम्प्यूटराइज्ड करा कर 9/1 पीली कालोनी, जूही, कानपुर-208014 से प्रकाशित किया।

बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ०प्र०

(स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आदेश प्राप्त, इहमाई द्वारा अनुमोदित)

8- लालबाग, कमला शर्मा मार्ग, लखनऊ-226001

प्रशा० कार्यालय : 127/204 "एस" जूही, कानपुर-208014

website- www.behm.org.in

Email: registrarbehmup@gmail.com



प्रवेश सूचना

F.M.E.H. दो वर्ष (चार सेमेस्टर) - इण्टरमीडियेट अथवा समकक्ष

C.E.H. एक वर्षीय - हाई स्कूल अथवा समकक्ष

A.C.E.H. एक सेमेस्टर - किसी भी चिकित्सा पद्धति में न्यूनतम दो वर्ष का पाठ्यक्रम उत्तीर्ण (इलेक्ट्रो होम्योपैथी 30 अप्रैल, 2004 से पूर्व/पैरा मेडिकल /किसी राजकीय चिकित्सा परिषद द्वारा पंजीकृत/ सूचीकृत चिकित्सक)

G.E.H.S. चार वर्ष+(1 वर्ष इन्टर्नशिप) - 10+2 जीव विज्ञान अथवा समकक्ष

P.G.E.H. दो वर्ष - G.E.H.S अथवा चिकित्सा स्नातक

विस्तृत जानकारी हेतु बोर्ड की अधिकृत संस्थाओं से सम्पर्क करें अथवा www.behm.org.in पर log in करें।